

कार्यालय,आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक,सहकारी संस्थाएँ म0प्र0


कमांक/स्था0/पांच/2011/1690

भोपाल, दिनांक 29.6.201

::आदेशः

निम्नलिखित सहायक ग्रेड-03 को अस्थाई तौर पर अन्य आगामी आदेश होने तक सहायक ग्रेड-02 के पद पर वेतनमान रूपये 5200-20200+ ग्रेड पे 2400/- में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत किया जाकर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर पदस्थ किया जाता है-

कं	नाम कर्मचारी	वर्तमान पदस्थी	नवीन पदस्थापना स्थान
01	02	03	04
1	श्रीमती वैशाली डोलस	देवास	इंदौर
2	श्री शिव शंकर मिश्रा	सीधी	सिंगरोली
3	कुमारी कल्पना तोमर	बालाघाट	सिवनी
4	श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	सागर	दतिया
5	श्री महेश चौबे	मुख्यालय	मुख्यालय
6	श्रीमती नीता वर्मा	रतलाम	रतलाम
7	श्रीमती प्रेमलता खरे	मुख्यालय	मुख्यालय
8	श्री नित्यानंद गिरी	मुख्यालय	मुख्यालय
9	श्री बी0एस0 क्षोत्रिय	अलीराजपुर	अलीराजपुर
10	श्री अब्दुल वहीद	रायसेन	भोपाल
11	श्री रेहान खान	भोपाल	मुख्यालय
12	श्री अभय कुमार चोबे	मुख्यालय	मुख्यालय
13	श्री श्यामलाल श्रीवास	कटनी	कटनी
14	श्री डी0के0 शर्मा	हरदा	सीहोर
15	श्री मोहम्मद साजिद	मुख्यालय	मुख्यालय
16	श्री ए0के0 सक्सेना	भिंड	भिंड
17	श्री इरहाक कासमी	भोपाल	मुख्यालय
18	श्री फिरोज लश्करी	बुरहानपुर	बुरहानपुर
19	श्री आनंदीलाल मेहरा	मुख्यालय	मुख्यालय



निरंतर-02

// 2 //

शर्तें-


1. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पदों को भरने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक/सी0-3-7/2002/3/1, दिनांक 6 जुलाई 2002 से जारी पदोन्नति के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के नियम निर्धारित रोस्टर का पालन किया गया है ।
2. संबंधित पदोन्नत कर्मचारी म0प्र0 शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-8/09/नियम/4भोपाल दिनांक 28.2.09 की द्वितीय अनुसूची के अनुसार पदोन्नत पद पर वेतन निर्धारण हेतु शासन के द्वारा नियत किये गये प्रारूप में वेतन निर्धारण का विकल्प देना चाहते हो तो पदोन्नति आदेश प्राप्ति के एक माह के अंदर विकल्प प्रस्तुत करना होगा ।
3. क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान प्राप्त कर्मचारी की पदोन्नति इसी वेतनमान में होने पर सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ-1-1/1/वे.आ.प्र./99, दिनांक 18.8.05 दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में वेतन निर्धारण किया जावेगा ।
4. म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ-11/1/08/नियम-4 भोपाल दिनांक 24.1.08 के अनुसार जिन्हें क्रमोन्नति समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया है तो उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है और वह ऐसी पदोन्नति लेने से इंकार करता है तो से पूर्व से स्वीकृत उच्चतर वेतनमान के अंतर्गत वित्तीय लाभ वापिस नहीं लिया जावेगा परंतु बाद में उसे कोई उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ देय नहीं होगा ।
5. संबंधित कर्मचारी आदेश प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना अनिवार्यतः 30 दिन में मुख्यालय को उचित माध्यम से भेजे अन्यथा ये मानकर की उनके द्वारा पदोन्नति परित्याग कर दी गई है । उनका पदोन्नति आदेश निरस्त माना जाकर कनिष्ठ कर्मचारी को पदोन्नति दे दी जावेगी जिसका उत्तरदायित्व संबंधित कर्मचारी का होगा ।



निरंतर-03

//3//

6. संबंधित कार्यालय प्रमुख देखें कि जिन कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है उनके विरुद्ध कोई विभागीय जॉच/लोकायुक्त प्रकरण/आर्थिक अपराध/न्यायालयीन प्रकरण से संबंधित कोई जॉच संस्थित हो तो संबंधित का उक्त पदोन्नति आदेश स्थगित रखा जाकर कार्यमुक्ति/पदोन्नति पद पर कार्यग्रहण नहीं कराया जावे एवं जाति वर्ग के अंतर्गत किसी की गलत पदोन्नति हो जाती है तो उसे भी कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावे तथा इसकी सूचना तत्काल मुख्यालय को दी जावे ।
(आयुक्त सहकारिता द्वारा अनुमोदित)



संयुक्त आयुक्त,
वास्ते आयुक्त सहकारिता
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था0/पांच/2011/| 690

भोपाल, दिनांक 29.6.2011

प्रतिलिपि-

- 01- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी मान0 मंत्री जी सहकारिता म0प्र0 भोपाल ।
- 02- प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल ।
- 03- अपर/संयुक्त/उप/सहायक आयुक्त सहकारिता समस्त मुख्यालय ।
- 04- सहायक आयुक्त सहकारिता देयक/प्रशासकीय अधिकारी मुख्यालय ।
- 05- संयुक्त/उप/सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण/प्रशासन) समस्त म0प्र0 ।
- 06- जिला कोषालय अधिकारी समस्त म0प्र0 ।
- 07- सर्वसंबंधित क्रमांक 01 से 19 तक की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
- 08- अधीक्षक/प्रभारी अधीक्षक समस्त मुख्यालय ।
- 09- स्थापना 6/7/9-पेंशन/12 मुख्यालय ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।


संयुक्त आयुक्त,
वास्ते आयुक्त सहकारिता
मध्यप्रदेश